SHRI H L. PATWARY:**

MR DEPUTY-SPEAKER. Behave like an importan person, that is what I am telling you to do

---

15 02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR SETTING UP A CEMENT PLANT AT BASOHLI, JAMMU AND KASHMIR

DR KARAN SINGH (Udhampur): In reply to Stained Question No 154 answered on 26th July 1978 it has clearly been stated that the cement plant in Basohli, Jammu and Kashmir, has been approved in the name of the J & K Minerals Ltd With the construction of the Them Dam which will start shortly, there is an urgent need for setting up this cement factory there Unfortunately, there are reasons to believe that the Jammu & Kashmir Government is not pursuing this matter as vigorously as was expected Recently some press reports that the project is likely to be shifted to Punjab, have caused widespread resentment in the Jammu region Basohli is a far flung Tehsil of the Jammu region and has been declared as a backward area The cement factory there has been planned many years ago and several assurances have been given regarding its construction The present uncertainty is causing avoidable unrest in the area I would urge the Government of India to take up this matter immediately with the Jammu & Kashmir Government and, if necessary help to arrange the funds for this vital project which has already been inordinately delayed

(ii) REPORTED EMPLOYING OF RESIDENTS OF TEFKAMGARH ONLY BY BHEL

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजराहो) माननीय उपाध्यक्ष महोदय , मैं नियम 377 के तेहत नीचे लिखे विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

केन्द्रीय शासन द्वारा बेलार (झांसी, उत्तर प्रदेश) मे बी० एच० ई० एल० का कारखाना स्थापित है । यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर है । इस कारखाने के कई भवन मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ की सीमा मे लगे हुए हैं । कारखाने का द्वारा विस्तार जिला टीकमगढ़ की सीमा मे होता है । आगे जब इसका विकास होगा, तब जिला टीकमगढ़ की सीमा मे ही होगा । जिला झांसी और जिला टीकमगढ़ के कई गाव एक दूसरे की सीमा के बीच मे स्थित हैं । यह सस्थान बुन्देलखण्ड के पिछडेपन को दूर करने को स्थापित हुआ है । बुन्देलखण्ड मे जिला टीकमगढ भी आता है ।

इस सस्थान मे कुशल एव अकुशल कामगर की जो नवीन भरती की जाती है, वह जिला झासी या उत्तर प्रदेश के जालौन, बादा, हमीरपुर, जिलो की भर्ती की जाती है । केवल जिला टीकमगड के उम्मीदवार नौकरी से वचित रखे जाते है । यह सकीर्णता की मनोवृति मानवीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है । इस भेदभाव से जिला टीकमगड की जनता मे बेहद असतोष है । शासन का मैंने पहले भी कई बार ध्यान आकर्षित किया पर उस पर अभी तक ध्यान नही दिया गया है । स्थानीय अधिकारी सही परिस्थिति को शासन के समक्ष नही रख रहे है ।

मुझे आशा है कि उद्योग मत्री इस बदिश को शीघ्र हटायेगे और जिला टीकमगड के रोजगार दफ्तर से उम्मीदवारो के नाम मगाने की कार्यवाही करेंगे, जिस से भेदभाव मिट सके ।

(iii) SALE OF SULPHURIC ACID BY HINDUSTAN ZINCE LTD, UDAIPUR

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस विषय की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस बारे मे

**Not recorded

मैंने 28 फरवरी, 1978 को एक पत्र लिखा था कि "दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5945 के उत्तर में कहा गया है कि हिन्दुस्तान जिंक लि० उदयपुर ने जनवरी से अप्रैल, 1978 तक सल्फूरिक एसिड बेचने के लिए स्थानीय चार व्यापारियों से 461 रुपये प्रति टन के हिसाब से सीमित टेंडर बुला कर सर्वाधिक मूल्य पर बेचे गये"। यह वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं है। वास्तव में तो हिन्दुस्तान जिंक लि० उदयपुर ने सल्फूरिक एसिड बेचने के लिए किसी प्रकार भी खुले टेण्डर आमन्त्रित नहीं किये। किसी भी समाचार पत्र मे टेण्डर्स प्रकाशित नहीं किये गये। केवल स्थानीय चार व्यापारियों से मिल कर सस्ते मूल्य पर दो हजार टन सल्फूरिक एसिड उन्हें केवल 461 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेच दिया। जब कि 15 फरवरी, 1978 के केमिकल्स वीकली के पृष्ठ संख्या 47 के आधार पर सल्फूरिक एसिड की उस समय प्रति टन की कीमत 1200 रुपया मार्केट मे थी। एंसिलरी इंडस्ट्री को यह एसिड न देकर और केवल कुछ व्यापारियों को बिना टेण्डर बुलाये सस्ते दाम पर प्रति मास दो हजार टन सल्फूरिक एसिड दे कर हिन्दुस्तान जिंक लि० उदयपुर ने 40 लाख रुपये से भी ज्यादा घोटाले कराके भारत सरकार को नुकसान पहुंचाया है। अत: तत्काल इसकी सी० बी० आई० द्वारा जांच करवाई जाए। संबंधित सभी कागजात जब्त किये जायें और दोषी अधिकारियो को दण्डित किया जाये।

श्री एम० एल० पटवारी (मंगलदाई): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्वाएंट आफ आर्डर है कि श्री साठे साहब का 12 अगस्त को प्रस्ताव आने वाला है। यह शनिवार है। अगर इसको शुक्रवार को ले लिया जाता तो शनिवार को हम को सुविधा हो जाती। यही मेरा प्वाएंट आफ आर्डर है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister of Parliamentary Affairs may please take note.

श्री वसंत साठे (अकोला): कांस्टीट्यूशन क्लब के मावलंकर हाल मे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। आप वहीं चले जाना।

SHRI K P. UNNIKRISHNAN (Badagara): I agree with Mr. Patwari. We should normally discuss this on a working day.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): On Saturday from 11 to 2 there is a discussion on floods. Then comes Mr. Sathe's discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Anyway, the suggestion has been made. You can keep it in mind.

PROF. P G. MAVALANKAR (Gandhinagar): On a point of order. I suppose we are now beginning Private Members' Business. I understand it is fixed for 2½ hours. Since you have taken 8 minutes may I take it that you will give those 8 minutes?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Seven minutes more we will give.

PROF. P G. MAVALANKAR: My half-hour discussion is fixed at 5.30.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It can be taken up at 5.37.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Thank you.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the House agrees.